19/12/24

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुयी। वकील अपीलांट का कथन है कि अपीलांट नं. 1 हाकिमसिंह, अपीलांट नं० 10 कप्तानसिंह, अपी० नं० 11 पदमसिंह, अपीलांट नं०12 राधेश्याम, अपी० नं० 16 मदनसिंह, अपी० नं० 17 संतो, अपी० नं० 21 सिरमोर, अपी० नं० 22 कम्मोदा, अपी० नं० 3 निहालसिंह, अपी० नं० 9 बाबू का देहान्त हो गया है। अपी० नं० 6 रामखिलाडी समस्त अपीलांट की ओर से पैरवी करता था। अपीलांट अनपढ एवं ग्रामीण व्यक्ति था। उनको कानून की कोई जानकारी नही थी इसलिए प्रा० पत्र प्रस्तुत करने में देरी हुयी। अतः प्रा० पत्र की देरी को क्षमा करते हुये प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

रेस्पो० अधिवक्ता का कथन रहा है कि मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने की कार्यवाही देरी से की गयी। एवं प्रा० पत्र में कोई उचित कारण भी अंकित नही किया है। अतः अपील अपीलांट मृत्यु की दिनांक से स्वतः ही अबैट हो गयी है। प्रा० पत्र

---(लगातार)

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
[illegible] (राज.)

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत........................मुकाम........................

........................बनाम........................ महेश

........................नं०........................सन्........................

किस्म मुकदमा........................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खारिज करते हुये अपील अवेट करने का निवेदन किया। रेस्पो० अधि० ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक नजीर 1990 supreme (Raj) पेज 652, 2017 (4) supreme पेज 549, 2017 (0) Supreme पेज 423 का उध्दरण पेश किया। हमने उभय पक्ष पर मनन किया। पत्राव का अवलोकन किया व हम पाते हैं कि अपीलांट नं० 1 हाकिम सिंह की मृत्यु दि० 20/10/16, अपी० 10 अजमेरसिंह 4 वर्ष पूर्व, अपी० नं० 11 पदमसिंह (2 वर्ष पूर्व), अपी० नं० 12 राधेश्याम करीब 1.5 वर्ष पूर्व, अपी० नं० 16 मदनसिंह करीब 6 वर्ष पूर्व, अपी० नं० 17 संतो (मृत्यु की दिनांक अंकित नहीं), अपी० नं० 22, कम्मोदा (मृत्यु की डि० अंकित नहीं) अपी० नं० 21 सिरमोर (करीब 3 वर्ष पूर्व), अपी० नं० 3 निहालसिंह (डि० 1/11/17), अपी० नं० 9 बाबू (डि० 8/2/18) को फौत हुये हैं। मृतकों के वारिसान को रिकार्ड पर लेने के लिये प्रा० पत्र बहुत देरी से प्रस्तुत किया गया है या० पत्र का० मु० के साथ धारा 5 परिसीमन अधिनियम का प्रा० पत्र ---(लगातार)	

भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (हाकिम / महेश)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रा० पत्र में अबेटमेंट को निरस्त करने की प्रार्थना भी नहीं की गयी है। जिससे अपनी लापरवाही के कारण अनुतोष प्राप्त करने की पात्रता भी क्षीण होती है। अपीलांट स्वयं का कर्तव्य था कि वह अपने अभिभाषक के सम्पर्क में रहे। एवं यथासंभव न्यायालय की कार्यवाही से अवगत रहे। उपरोक्त विवेचानुसार अपीलांट द्वारा तय समय सीमा में कायम मुकाम कार्यवाही नहीं करने की स्थिति में अपील अपीलांट 90 दिवस बाद स्वत: ही अबेट हो जाती है। अत: आदेश है कि दोनों प्रा० पत्र 2 व 3 खारिज किये जाएं। अपील अपीलांट जरिये अबेट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाए। नंबर से कम की जावे। बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	
	भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)	